ऑन लाईन नं.RCMS2018/00178

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 64/2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

श्री हरीराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

ब्नाम

1. श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री मदन लाल नाई
   मै0 जय बालाजी किराना स्टोर उद्यम सिंह चौंक, बीकानेर रोड, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर
2. श्रीमती पूनम कुमारी पत्नी राकेश कुमार
   मै0 एम.आर. ट्रेडिंग, दुकान नम्बर सी–51, विश्वकर्मा मोटर मार्केट, श्रीगंगानगर निवासी वार्ड नम्बर 10, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।
3. श्री देवेन्द्र बंसल पुत्र श्री महावीर प्रसाद
   मै0 महालक्ष्मी बेवरेज उद्योग, अनाज मण्डी के पीछे, सिवानी जिला–भिवानी, हर0 निवासी –मकान नम्बर 88, वार्ड नम्बर 8, राधाकिशन मंदिर के पास, सिवानी, जिला भिवानी

अभियुक्त

अपराध अ0 धारा 26 धारा (2)(5)/58 एवं होलसेलर के विरूद्व 31(2)/58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय **दिनांक : 20.12.2018**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 17.05.2017 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 17.05.2017 से वर्तमान कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त जिला श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र अग्रिम आदेशों तक आवंटित किया है।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.11.2017 को दोपहर बाद 4.00 बजे श्री राकेश सचदेवा तकनीशियन , कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी श्रीगंगानगर वास्ते निरीक्षण फर्म **मै0 जय** बालाजी किराना स्टोर उधम सिंह चौंक, , बीकानेर रोड, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर पहुचे। वहां पर कन्हैया लाल पुत्र श्री मदन लाल नाई उपस्थित मिला। उपस्थित को निरीक्षण दल ने अपना परिचय देकर निरीक्षण किया तो उपरोक्त दुकान में 10 सील्ड गत्ता पेंकिग डिब्बे **कुकिंग मीडियम**

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Madhuking (Premium Quallity) के प्रत्येक एक लीटर (900 ग्राम) आमजन को विक्रय हेतु रखे हुए थे। मिलावट/ नकली का शक होने पर नमूना जांच संख्या के–873 के नमूनीकरण के लिये चार सील्ड गत्ता पैंकिग डिब्बे प्रत्येक एक लीटर (900 ग्राम) **कुकिंग मीडियम Madhuking (Premium Quallity)** सहित खरदे जिसकी कीमत 1000/– रूपये (अखरे रूपये एक हजार) का नगद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाह श्री राकेश सचदेवा लेब तकनीशियन एवं श्री लक्ष्मण मेघवाल के हस्ताक्षर है एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरिराम वर्मा ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ **कुकिंग मीडियम Madhuking (Premium Quallity)** के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की तो मै0 जय बालाजी किराना स्टोर के दुकान में गत्ते के पैकेटो खाद्य पदार्थ **कुकिंग मीडियम Madhuking (Premium Quallity)** भरकर गत्ते के कार्टनों में आम जन के विक्रय हेतु रखी हुई थी। जिसमें से गत्ते के पैकेटो **कुकिंग मीडियम Madhuking (Premium Quallity)** जांच के लिए खरीद की, **कुकिंग मीडियम Madhuking (Premium Quallity)** की कीमत 1000/–रू (अखरे रूपये एक हजार मात्र) अदा की एवं खरीदी रसीद तैयार की, तथा उपस्थित गवाहान श्री श्री राकेश सचदेवा लेब तकनीशियन एवं श्री लक्ष्मण मेघवाल के हस्ताक्षर करवाये। फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्त्ता श्री कन्हैयालाल एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं 05 की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्त्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा **कुकिंग मीडियम Madhuking (Premium Quallity)** की गत्ते के पैकेटो को 4–4 के चार समूल बनाकर चार नमूना भाग बनाए एवं उन पर लेबल चिपकाये । लेबल पर कोड एवं सीरियल नम्बर, दिनांक, स्थान खाद्य पदार्थ का नाम अंकित कर उस पर खाद्य करोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षयुक्त पेपर स्लिप के–873 को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया । मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य विक्रेता ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष 2 सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ऑन लाईन नं.RCMS2018/00178
ऑन लाईन नं.RCMS2018/00178

फूड एनालिस्ट राजस्थान जयपुर द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/2712/एक्ट/2017/2784 दिनांक 06.12.2017 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–873 **कुकिंग मीडियम Madhuking (Premium Quallity) अमानक स्तर Prohibited & Restricted** खाद्य पदार्थ होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त कन्हैया लाल पुत्र श्री मदन लाल नाई **मै0** जय बालाजी किराना स्टोर उद्यम सिंह चौंक, बीकानेर रोड, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **कुकिंग मीडियम Madhuking (Premium Quallity)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की **धारा 26 धारा (2)(5)/58 एवं होलसेलर के विरूद्व 31(2)/58** के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 13.11.8.2018 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस **कुकिंग मीडियम Madhuking (Premium Quallity)** का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार **Prohibited & Restricted** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त **कुकिंग मीडियम Madhuking (Premium Quallity)** के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी। अप्रार्थी को कम्पनी द्वारा उक्त उत्पाद उच्च क्वालिटी का बताकर विक्रय करने हेतु दिया गया था । अप्रार्थी केवल किरयाने के सामान में क्रय–विक्रय का कार्य करता है। अप्रार्थी द्वारा उत्पाद स्वंय के द्वारा तैयार/निर्माण कर विक्रय नहीं किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा अब उक्त उत्पाद का विक्रय बन्द कर दिया है व भविष्य में ऐसी गलती दुबारा नहीं करेगा। अप्रार्थी विक्रेता को अंजाने में हुई भूल के लिये क्षमा किया जावे। अप्रार्थी संख्या 02 ने भी अपने जबाब में अंकित किया कि उक्त उत्पाद अप्रार्थीया द्वारा नहीं बनाया गया एवं अप्रार्थीया द्वारा उक्त कार्य बन्द कर दिया गया है व भविष्य में ऐसी गलती दुबारा नहीं करेगी। अप्रार्थीया को भूल के लिये क्षमा किया जावे। अप्रार्थी संख्या 03 देवेन्द्र बंसल ने अपना जवाब पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा उक्त उत्पाद काा उत्पादन बन्द किया जा चुका है। अगर अप्रार्थी की लापरवाही से कोई गलती हुई है तो उसके लिये अप्रार्थी जुर्माना जमा करवाने का दायी है, अप्रार्थी को क्षमा किया जावें। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **कुकिंग मीडियम Madhuking (Premium Quallity)** का सैम्पल के–873 जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/ 2712/एक्ट/2017/2784 दिनांक 06.12.2017 द्वारा **Prohibited & Restricted** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की **धारा 26 धारा (2)(5)/58 एवं होलसेलर के विरूद्व 31(2)/58** के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है। जिसमें अधिकतम 5,00,000 रूपये की शास्ति का प्रावधान है।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस **कुकिंग मीडियम Madhuking (Premium Quallity)** का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार **Prohibited & Restricted** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त **कुकिंग मीडियम Madhuking (Premium Quallity)** के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी। अप्रार्थी को कम्पनी द्वारा उक्त उत्पाद उच्च क्वालिटी का बताकर विक्रय करने हेतु दिया गया था । अप्रार्थी केवल किरयाने के सामान में क्रय–विक्रय का कार्य करता है। अप्रार्थी द्वारा उत्पाद स्वंय के द्वारा तैयार/निर्माण कर विक्रय नहीं किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा अब उक्त उत्पाद का विक्रय बन्द कर दिया है व भविष्य में ऐसी गलती दुबारा नहीं करेगा। अप्रार्थी विक्रेता को अंजाने में हुई भूल के लिये क्षमा किया जावे। अप्रार्थी संख्या 02 ने भी अपने जबाब में अंकित किया कि उक्त उत्पाद अप्रार्थीया द्वारा नहीं बनाया गया एवं अप्रार्थीया द्वारा उक्त कार्य बन्द कर दिया गया है व भविष्य में ऐसी गलती दुबारा नहीं करेगी। अप्रार्थीया को भूल के लिये क्षमा किया जावे। अप्रार्थी संख्या 03 देवेन्द्र बंसल ने अपना जवाब पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा उक्त उत्पाद काा उत्पादन बन्द किया जा चुका है। अगर अप्रार्थी की लापरवाही से कोई गलती हुई है तो उसके लिये अप्रार्थी जुर्माना जमा करवाने का दायी है, अप्रार्थी को क्षमा किया जावें। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

इस प्रकार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की घारा 31(2) एवं होलसेलर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 के प्रकाश में, यह मानते हुए कि अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, अभियुक्त वेदप्रकाश पर **Prohibited & Restricted कुकिंग मीडियम Madhuking (Premium Quallity)** विक्रय करने पर धारा **(2)(5)/58 एवं होलसेलर के विरूद्व 31(2)/58** के तहत संयुक्त रूप से शास्त्रि 15000/–रूपये (अखरे रूपये पन्द्रह हजार मात्र) शास्ति अधिरोपित की जाती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त **कुकिंग मीडियम Madhuking (Premium Quallity)** का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **कुकिंग मीडियम Madhuking (Premium Quallity)** के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/12/18

(नखतदान बारहठ)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर